

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1192

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-4 में द्वितीय पाली में डिप्लोमा इजी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली डिग्री स्तरीय संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ संलग्नक-3 में अंकित निजी क्षेत्र में स्थित डिग्री स्तरीय संस्थाएं, जिन्हें द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है, और संस्थाएं प्राविधिक शिक्षा परिषद से पूर्व से सम्बद्ध हैं, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय पाली में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1630	जे०एम०एस० ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हंस नॉलेज पार्क 34 माइल्स दिल्ली हापुड़ रोड, गाजियाबाद 245101	सिविल इजी मैकेनिकल इजी( प्रोड.)	60 60	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-देश प्रगावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित क्षमता को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन को निर्देशानुसार ही प्रवेश भी कार्यावाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0 से आगाही स्वयं हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशका, प्राविधिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये तत्पर होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में अक्षम रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी वाद वायव किया जाता है तथा दायव वाद को संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिसर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग से माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक गृहभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, संपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैमिंग रखने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था ने प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त समलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, फर्नीचर, संपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इतनी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

/

(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पृष्ठसं0- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य/निदेशक, जे0एम0एस0 गुप आफ इंस्टीट्यूशन, हंस नॉलेज पार्क 34 माइल्स दिल्ली हापुड़ रोड, गाजियाबाद 245101

92  
(संजीव कुमार सिंह)  
सचिव

**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राशिव/परिषद/सम्बद्धता/2020/1073

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय द्वारा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कॉर्पोरेट काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा चिन्तित सत्र 2020-21 हेतु विन्डोम इन्फो टेकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के कारण प्राविधिक शिक्षा परिषद 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को त्रयीय प्रतियोगिता शिक्षा परिषद 3000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से नसालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य सभी विचार किये हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के सद-112 में दिल्लीमा इन इजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर विन्डोम लिमिटेड लिखा गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित विन्डोम इन इजी0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विन्डोम राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथावत अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उक्तों नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक: 14-08-2020 को आहत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिया गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में विन्डोम लिमिटेड को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्जित पाठ्यक्रम एवं लक्ष्य अर्जित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0 / द्वारा सत्र 2020-21 अनुमोदित क्षमता	सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	विन्डोम इन्फो टेकनीकी शिक्षण संस्था, 34 गार्डला, दिल्ली (उत्तर प्रदेश)	लिमिटेड इजी0 मैक्रोमिफाल इजी0।	60 60	60 60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1982 संशोधित विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कॉर्पोरेट पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कॉर्पोरेट पाठ्यक्रम के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होने और तदनुसार कार्रवाई किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू रहेगी।
- ✓ संस्था को (3000) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

*(Handwritten Signature)*

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आचरित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्ता रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के समय में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बेंचवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग संकलन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुज्ञा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

/

(डा० आर०के० सिंह)  
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, जे०एम०एस० ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूट, हंस नॉलेज पार्क, 34 माईल्स, दिल्ली हायड रोड, गाजियाबाद।

(डा० आर०के० सिंह)  
सचिव

सामान्य

राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

एन ई ई ए समिति

संख्या - प्राविष/परिषद/संयुक्त/2021/3537

तारीख: दिनांक: 09/08/2021

सामान्य सूचना:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/एन ई ई ए समिति, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय/चक्रवर्तु से संयुक्तता/संयुक्तता विस्तार प्राप्त किए जाने हेतु दिनांक 09/08/2021 को परिषद सामान्य में संयुक्तता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को संयुक्तता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश सामग्री/बैठक संबंधित अन्य अतीत विचार परंपरे हुए सत्र 2021-22 हेतु संयुक्तता/संयुक्तता विस्तार प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया।

संयुक्तता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अंतर्गत में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय/चक्रवर्तु द्वारा सत्र 2021-22 हेतु दिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को संयुक्तता/पूर्व से संबंधित संस्थाओं को संयुक्तता विस्तार प्राप्त की जायेगी:-

संस्था का पता एवं नाम : 103B-J M S GROUP OF INSTITUTIONS, HANS KNOWLEDGE PARK, 34 MILES, DELHI HAPUR ROAD, GHAZIABAD

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एनआईईई/सी/टी/ई/टी/सी/टी/आई/टी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदन प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	80	80
2	MECHANICAL ENGINEERING	80	80

**संयुक्तता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एनआईईई/सी/टी/ई/टी/सी/टी/आई/टी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद सत्र 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिल्ली/एन ई ई ए समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सीमा निर्धारित/नए पाठ्यक्रमों हेतु एवं 30/05/00 प्रतिवर्ष से पूर्णतः फर्नीचर/पाठ्यक्रम हेतु एवं 45000.00 प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फर्नीचर/पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹-22500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्याप्त/उपयुक्त हो पाए किन्तु आवश्यक। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से पुस्तक के खर्च/सत्र में व्यवस्थापन पर भारत द्वारा निर्धारित किसे जाने अन्य आवश्यक प्रमाणीकरण, और नए/पुराने पाठ्यक्रमों किसे जाने आवश्यक होगा। प्रवेश/निर्णय समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु कीस उन पुस्तक/पाठ्यक्रम किसे जाने है, तो कीस की स्वीकृति/दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उपाय समितियों) संस्थाओं को संयुक्तता किसे जाने। डिप्लोमा/एन ई ई ई/2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीट के दिक् रूढ़ि/अन्य की स्थिति से उक्त प्रवेश शीट/अन्य के दिक्/अन्य की प्रवेश की स्वीकृति की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस्त-सत्र पर निर्गत शीट/अन्य के अनुसार निर्देशन एवं संयुक्तता पुस्तक/अन्य करना होगा।
- ✓ संस्था को एनआईईई/सी/टी/ई/टी/सी/टी/आई/टी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किए जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एन ई ई ए समिति/उपाय/चक्रवर्तु/एन ई ई ए समिति/प्राविधिक शिक्षा, एन ई ई ए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय/चक्रवर्तु तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उपाय/चक्रवर्तु द्वारा बनाये गये नियमों, दिशानिर्देश, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये पाठ्यक्रमों।
- ✓ डिप्लोमा इन एन ई ई ए पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि भी एन ई ई ए नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त आधिकारिक संस्था का योग्य और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशनालय एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद/उपाय/चक्रवर्तु/एन ई ई ए समिति/प्राविधिक शिक्षा, एन ई ई ए, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के समक्ष में प्र. व्यवसाय/अन्य किसे जाने प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधित आदेश/निर्देश किसे जाने है तो संस्था प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन एन ई ई ए पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपाय/चक्रवर्तु द्वारा आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु आवश्यक/निर्णय प्राप्त होने के पूर्व एनआईईई/सी/टी/आई/टी से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद/उपाय/चक्रवर्तु/एन ई ई ए समिति/प्राविधिक शिक्षा, एन ई ई ए/उपाय/चक्रवर्तु/एन ई ई ए समिति/प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर लिये प्रवेश/अनुमति नहीं प्राप्त की जायेगी।



उच्च प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीकृतम प्रारक्षण तिथियों को अनुपालन करत आयोजक होंगे।

- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक घुंठी भूमि, स्टॉफ, साज-सज्जा, अखाड़ा, घात किराया जैसे यास शुल्क, छात्रवृत्ति, शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/परिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ देशी-विदेशी के सम्बन्ध में इनका आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिति के समस्त उपलब्ध सहाय गये अतिरिक्त, भूमि-श्रमण, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य संस्थान के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उन्नात संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने पर अनुज्ञा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वयंसेवक विदेशीय शैक्षणिक संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०एम०आई०पी०आई०पी०आई०/परिषद के नाम/व्यक्तिगत उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्पत्ति समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ संस्था को शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उन्मूलन किये जाने की स्थिति में निचलानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृष्ठ सं०- वाशिप/परिषद सम्बन्धित/2021/3538-4809

दिनांक: 05/05/2021

व्यक्तिगत:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, J M S GROUP OF INSTITUTIONS, HANS KNOWLEDGE PARK, 34 MILES, DELHI HAPUR ROAD, GHAZIABAD



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव